

ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत जारी..



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला मुरादाबाद
तहसील मुरादाबाद
आवेदन क्र० 181350030077738
प्रमाणपत्र क्र० 042183019236

जारी दिनांक: 25/07/2018

प्रमाणित किया जाता है कि
पुत्र/पुत्री कु. अलमीज़ा
माता का नाम श्री मौ० मुस्लिम
निवासी श्रीमती सीना परवीन
ग्राम 0, कटार शहीद शंखअलाउद्दीन गेट नं 4
तहसील मुरादाबाद
जिला मुरादाबाद



उत्तर प्रदेश राज्य की मोमिन (अंगार) जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कु. अलमीज़ा पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में यथा ब्रिहिप छूट सामा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: श्रीराज हुसैन, जे० पी०
पद: श्रीराज हुसैन, केन्द्र प्रभारी
स्थान: कचेहरी डीपटी गंज
मुरादाबाद, Moradabad
दिनांक: 25/07/2018

SUNITA
SINGH
Digitally Signed by
SUNITA SINGH O=U P
GOVERNMENT,
OU=REVENUE,
S=UTTAR PRADESH

मशरूफ अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
मुरादाबाद, मुरादाबाद
दिनांक: 25/07/2018

हस्ताक्षर एवं मुहर

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा वैधता प्रमाणित किया गया है तथा डिजिटल सिस्टम से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मियों द्वारा प्रमाणित किया गया है।
यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://eodistrict.up.nic.in> पर इसकी पहचान आवेदन क्र० और प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।